न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम, दरभंगा

पीठासीन : आदि देव

जमानत आवेदन संख्या–228/2026

(मजलूम मंसूरी बनाम राज्य सरकार)

1. मजलूम मंसूरी पे0 किताब मंसूरी...आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार.. विपक्षी

आवेदक की ओर से : श्री श्रवण कुमार, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

30.03.2026 काराधीन आवेदक **मजलूम मंसूरी** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत। आवेदक को **एल0एन0एम0यू0 थाना काण्ड सं. 212/25** अन्तर्गत **धारा 303(2) बी0एन0एस0** [विद्वान सी0जे0एम0, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित] में अभियोजित किया गया है।

2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

3. सूचक पप्पन कुमार के अनुसार घटना संक्षेप में यह है कि सूचक भाड़े के मकान जे0पी0 चौक लक्ष्मी सागर में रहता है। दिनांक 30.08.2025 को सूचक अपने गाड़ी बुलेट संख्या BR30AC0508 को मकान कैम्पस में लॉक कर कमरे में गया। किंतु सुबह नीचे आया तो पाया कि उसकी गाड़ी गायब है। छानबीन के बाद बगल के मकान में लगे कैमरे से पता चला कि चार आदमियों के द्वारा सुबह के समय 03.00 बजे गाड़ी को लॉक तोड़कर ले जाया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं तथा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक उपरोक्त थाना कांड संख्या में दिनांक 17.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक का कोई जमानत आवेदन ना तो किसी उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है और ना ही कोई जमानत आवेदन लंबित है। आवेदक का एक आपराधिक इतिहास दर्ज हैं। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप गलत, बेबुनियाद एवं तथ्य से परे है। आवेदक इस केस का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है और उनके भागने की कोई संभावना नहीं है तथा न्यायालय के संतुष्टि पर बंध पत्र देने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाए।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया तथा जमानत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया।

6. अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित होता है कि

आवेदक के पास से चोरी की कोई वस्तु बरामद नहीं की गई है। आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। इस कांड में अन्वेषण पूर्ण हो चुका है। साक्ष्य में हस्तक्षेप करने की संभावना नगण्य है। आवेदक दिनांक 17.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

7. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारावधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक **मजलूम मंसूरी पे0 किताब मंसूरी** को **10,000/–रूपया** के दो जमानतदारों के साथ समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर न्यायालय विद्वान सी0जे0एम0, दरभंगा के संतुष्टि पर जमानत पर छोड़ने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होंगे एवं एक जमानतदार न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में निवासी होंगे। आवेदक भविष्य में समान प्रकृति के अपराध में सम्मिलत पाये जाते है, तो उनका बंध–पत्र खारिज किया जा सकेगा।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

ह0

(आदि देव)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,दशम,

दरभंगा।